

फॉर्म अहताम

नाम न्यायालय- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्ती

२६/०३/२२

संख्या ३१००००

दिनांक ११/१२

दिनांक	विषयक आदेश या कार्यवाही	विशेष विवरण
१२/११/२२	<p>प्राची सरकार जसि महसीलदार बस्ती के प्राचीन पत्र विकृत अप्राचीन अनांगत द्वारा १३ एल-आर-एकर पेश किया गया प्राचीन का प्राचीन पत्र विकृत अप्राचीन वर्ण रजिस्टर किया गया फावली एवं फावली पर मोक्षद प्रतीति का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया प्राचीन का द्वारा १३ एल-आर-एकर सू-राजस्व अधिनियम १९५६ का प्राचीन के द्वारा पेश किया गया है जिस अधिकांश प्रकारों के सहमति पत्र पर एलावर / अगुका निशानी भी गई है सहमति पत्र शपथ पत्र फावली के सलठन है जिसके सरपंच राम पंचायत रामरामपुरा के द्वारा प्रमाणित किया गया है फावली पर रिपोर्ट का अवलोकन करके जल उपरान्त प्राचीन का प्राचीन पत्र अनांगत द्वारा १३ सू-राजस्व अधिनियम (वीकार) किया जाकर अधिकांश दिया जाता है कि खसरा नं० १९१ खसरा १.७१९७ हेक्टर खसरा नं० १९२ खसरा ०.०२५३ हेक्टर खसरा नं० १९६ खसरा २.९२१० हेक्टर खसरा नं० १९३ खसरा ०.०७५९ हेक्टर खसरा संख्या १९४ खसरा १.९८५३ हेक्टर खसरा नं० २५३ खसरा ४.०७१७ हेक्टर ग्राम डयाडा चौड पटवार एलाका रामरामपुरा सू. अं. नि० दोगा कानौता महसील बस्ती</p>	

३६
उप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला जयपुर)

मे स्थित प्रार्थना प्रा के साथ सलमन
 मे लाल धाई से अकित राता जो
 पर निर्मित हलेकिन राजस्व नम्बों में
 नहीं है उसे राजस्व नम्बों में अकित किया
 जाकर प्रधाक से स्वसरा नम्बर दिया जावे
 रात्ते को खातेदार को खातेदारी में अकित
 गौर मूमकिन रात्ते के रूप में अकित किया
 जावे उक्तानुसार पालना हेतु गहसीलपाट
 बस्सी को गहरीर जारी हो पावली प्रसक्त
 श्रुमार होकर वर्ज नम्बर से कम होवे पर
 दाखिल दफ्तर हो

गहसीलपाट
 को गहरीर जारी

455
 18/7/22

निर्णय आज दिनांक 12/7/22 को २३
 व्यामालय एवं सैर व जलारस सुनाया गया

उप खण्ड अधिकारी
 बस्सी (जिला जयपुर)